 क्लेम प्रकरण क. 25/22 एवं 90/22

अधिकरणः—द्वितीय अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जौरा, जिला—मुरैना (म0प्र0)
(समक्षः— रविन्द्र कुमार शर्मा)

Registration No-25/2022
Filing No-MACC/61/2022
CNR No.MP0606-000436/2022
Filing Date:-14/02/2022

1. शाहीन बानों पत्नी स्व. श्री इसरार खांन, उम्र—27 वर्ष
2. कु. सैफरीन पुत्री स्व. श्री इसरार खांन, उम्र—10 वर्ष
3. मोहम्मद सैफ पुत्र स्व. श्री इसरार खांन, उम्र—7 वर्ष
4. आयुष पुत्र स्व. श्री इसरार खांन, उम्र—3 वर्ष
5. इकबाल खांन पुत्र स्व. श्री शादी खांन, उम्र—50 वर्ष
6. श्रीमती सकिला खांन पत्नी श्री इकबाल खांन, उम्र—48 वर्ष
आवेदक क. 2 लगायत 4 नाबालिग सरपरस्त स्वयं माता शाहीन बानो पत्नी स्व. श्री इसरार खांन, समस्त निवासीगण—वार्ड न. 12 डाकखाना रोड कस्बा जौरा, जिला—मुरैन म.प्र.

—— **आवेदकगण**

Registration No-90/2022
Filing No-MACC/162/2022
CNR No.MP0606-001150-2022
Filing Date:-18/04/2022

मेहबूब खॉ पुत्र श्री सुलेमान खॉ, उम्र—49 वर्ष, निवासी—सविता गली डाकखाना रोड, कस्बा—जौरा, जिला—मुरैना म.प्र.

—— **आवेदक**

//बनाम//

1. मुन्नालाल कुशवाह पुत्र श्री गुलाब सिंह कुशवाह, निवासी—ग्राम जरैना मानगढ़, तहसील—सबलगढ़, जिला—मुरैना म.प्र.

(वाहन स्वामी)

2. नरेश कुशवाह पुत्र श्री गुलाब सिंह कुशवाह, निवासी—ग्राम जरैना मानगढ़, तहसील—सबलगढ़, जिला—मुरैना म.प्र.

(वाहन चालक)

3. चोला मण्डलम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय स्थित एच. 102/बी. प्रथम तल मेट्रो टॉवर विजय नगर ए.बी. रोड इन्दौर म.प्र.

(बीमा कंपनी)

——— **दोनों प्रकरणों के अनावेदकगण**

आवेदकगण की ओर से श्री धर्मेन्द्र शर्मा अधिवक्ता।
अनावेदक क्र.1 व 2 पूर्व से एकपक्षीय।
अनावेदक क्र.3 द्वारा श्री राजेश दण्डौतिया अधिवक्ता

::: अधिनिर्णय :::

(आज दिनांक **18.01.2024** को पारित।)

1. एक ही वाहन दुर्घटना से उत्पन्न दोनों क्लेम प्रकरण क्रमांक 25/2022 एवं 90/2022 का निराकरण इस अधिनिर्णय के द्वारा एक साथ किया जा रहा है क्योंकि दोनों मामलों में विधि और तथ्य के समान प्रश्न निहित हैं। मूल क्लेम प्रकरण क्रमांक 25/2022 शाहीन बानों एवं अन्य बनाम मुन्नालाल कुशवाह एंव अन्य है, जिसमें मूल अधिनिर्णय रखा जावेगा और उसकी प्रतिलिपि क्लेम प्रकरण क्रमांक 90/2022 मेहबूब खां बनाम मुन्नालाल कुशवाह एवं अन्य में रखी जावेगी। क्लेम प्रकरण क्रमांक 25/2022 मृतक इसरार खांन के संबंध में आवेदकगण शाहीन बानों एवं अन्य की ओर से 1,15,42,000/—रूपये एवं क्लेम प्रकरण क्रमांक 90/2022 के आवेदक मेहबूब की ओर से 42,25,000/—रूपये क्षतिपूर्ति प्राप्ति हेतु अनावेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये हैं।

2. क्षतिपूर्ति याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 15/12/2021 को समय शाम लगभग 05:00 बजे मृतक इसरार खांन अपने रिश्तेदार आवेदक मेहबूब के साथ वीरपुर से फर्नीचर का काम करके मोटरसाईकिल से जौरा आ रहा था जैसे ही उक्त मोटर साईकिल कुटरावली तिराहा के पास पहुंची कि तभी सबलगढ़ की तरफ पीछे से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन मेटाडोर टाटा 407 क्रमांक एमपी06—जी.ए.—1184 (आगामी पदों में "प्रश्नगत वाहन" से सम्बोधित) को अनावेदक क्र.2 तेजी व लापरवाही से चलाते हुये लाया और मृतक की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे मृतक के संपूर्ण शरीर में प्राणघातक चोटें आयी और आवेदक मेहबूब को भी प्राणघातक चोटें आयी। घटना घटित होने के बाद मृतक एवं घायल मेहबूब को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैलारस ले जाया गया, जहॉ डॉक्टरों ने मृतक को म्रत घोषित कर दिया, जहॉ मृतक का पी.एम. हुआ तथा आवेदक मेहबूब की गंभीर हालत को देखते हुये उसको जिला चिकित्सालय मुरैना के लिये रैफर कर दिया, फिर मुरैना से ग्वालियर से लिये डॉक्टरों ने रैफर कर दिया। घटना घटित होने के बाद पुलिस थाना कैलारस को सूचित किये जाने पर पुलिस थाना कैलारस द्वारा अपराध क्रमांक 653/2021 पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान उपरांत अनावेदक क्रमांक—1 के विरूद्ध जे.एम.एफ.सी. सबलगढ़ के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. क्लेम याचिका क्रमांक 25/2022 में आवेदकगण ने यह भी लेख किया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 29 वर्ष हष्टपुष्ट व्यक्ति होकर कारपेन्टर (फर्नीचर) का कार्य कर 15,000/—रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। दुर्घटना में आयी चोटों के कारण मृतक की मृत्यु होने से आवेदक क्र.1 अपने पति सुख, आवेदक क्र.2 लगायत 4 अपने पिता के लाड प्यार एवं स्नेह एवं आवेदक क्र.5 व 6 अपने पुत्र के सुख से वंचित होकर उनका सहारा छिन गया। उक्त दुर्घटना के कारण मृतक की मृत्यु होने से आवेदकगण को मानसिक आघात एवं कष्ट पहुंचा है। दुर्घटना में मृतक की मृत्यु होने के कारण पी.एम. के बाद घर ले जाने, दुर्घटना में मृतक की असमय मृत्यु होने से मृतक दाह—संस्कार एवं ब्रहम भोज, मृत्यु के बाद घर आने—जाने वाले रिश्तेदारों पर आवेदकगण द्वारा धनराशि व्यय की गयी। आवेदकगण पुत्र सुख से मिलने वाली सुख सुविधाओं से वंचित हो गये हैं। अतः आवेदकगण को अनावेदकगण से 1,15,42,000/—रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जावे।

4. क्लेम याचिका क्रमांक 90/2022 में यह भी लेख किया गया है कि दुर्घटना के समय आवेदक 49 वर्ष का हष्ट पुष्ट व्यक्ति होकर कारपेन्टर (फर्नीचर) का कार्य कर 15,000/—प्रतिमाह आय अर्जित कर रहा था। उक्त दुर्घटना में आवेदक के दांये कठलानी में फ्रेक्चर होकर स्थायी अपंगता व संपूर्ण शरीर में प्राणघातक चोटें आने से उसको शारीरिक एवं मानसिक कष्ट का आघात पहुंचा है। वह घटना दिनांक से आज तक विस्तर

पर पड़ा है और भविष्य में बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा। दुर्घटना में आयी चोटों के कारण वह पूर्व की भांति अपना कार्य करने में असमर्थ है। आवेदक को दुर्घटना में आयी चोटों के इलाज में आवेदकगण द्वारा धन राशि व्यय की गयी। आवेदकगण द्वारा इलाज के दौरान परिवार के लोगों एवं रिश्तेदारों के आने जाने, अटैंडर के रूप में ठहरने, खाने–पीने, प्रायवेट वाहन एवं एम्बूलैंस से इलाज के लिये बार–बार ले जाने, विटामिनयुक्त खाद्य पदार्थ लेने में आवेदकगण द्वारा धनराशि अदा गयी। अतः आवेदकगण को अनावेदकगण से 42,25,000/–रूपये दिलायी जावे।

5. प्रकरण में दोनों ही क्लेम प्रकरणों में वाहन स्वामी अनावेदक क्र.1 एवं वाहन चालक अनावेदक क्र.2 द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से दोंनो ही क्लेम प्रकरणों में एक ही तरह के प्रस्तुत वादोत्तर के अनुसार घटना के तथ्यों, मृतक एवं आवेदकगण को कारित क्षतियों एवं क्षतियों के मूल्यांकन को अस्वीकार करते हुए यह लेख किया है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन के चालक के पास उक्त वाहन को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नहीं था जो कि बीमा पॉलिसी की मूलभूत शर्तों का उल्लघंन है। आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के मध्य दुरभि संधि है। प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना में मृतक एवं आवेदक को कोई चोट कारित नहीं हुई है। प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना में कारित चोटों के संबंध में धारा 158(6) मोटर वाहन अधिनियम के तहत उपबंधित आज्ञात्मक प्रावधानों के पालन में पुलिस एवं वाहन स्वामी द्वारा तथाकथित घटना के संबंध में पुलिस रिपोर्ट की कोई भी प्रतिलिपि संबंधित अधिकरण को एवं अनावेदक क्र. 3 बीमा कपंनी को विहित वैधानिक अवधि में नहीं भेजी है। कथित दुर्घटना की पुलिस रिपोर्ट एवं समस्त कार्यवाही बाद में सोची समझी सजिश के तहत झूठी एवं गलत रूप से मात्र क्षतिपूर्ति पाने के अनुचित आशय से की गई है। अतः अनावेदक क्रमांक 3 के विरूद्ध प्रस्तुत क्षतिपूर्ति याचिका निरस्त की जावे।

6. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में मेरे द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की गयी जिनके निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित हैं तथा निष्कर्ष के कारण आगे अभिलिखित किये गये हैं–

क्लेम प्रकरण क्रमांक 25/2022

क्र0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या घटना दिनांक 15/12/2021 को शाम लगभग 05:00 बजे, कुटरावली तिराहा एम.एस. रोड कैलारस, पुलिस थाना–कैलारस में अनावेदक क्र.2 ने टाटा 407 /मेटाडोर क्रमांक एमपी06–जी.ए.–1184 को उपेक्षा या उतावलेपन चलाकर इसरार खांन को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की ?	''प्रमाणित''
2.	क्या उक्त दुर्घटना में इसरार खांन को कारित हुई चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई ?	''प्रमाणित''
3	क्या दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त टाटा 407 /मेटाडोर क्रमांक एमपी06–जी.ए.–1184 अनावेदक क्र.1 के पंजीकृत स्वामित्व का वाहन होकर अनावेदक क्र.3 बीमा कंपनी में घटना दिनांक को बीमाकृत रहा है ?	''प्रमाणित''
4	क्या घटना के समय प्रश्नगत वाहन टाटा 407 /मेटाडोर क्रमांक एमपी06–जी.ए.–1184 के स्वामी अनावेदक क्र.1 एवं चालक अनावेदक क्र.2 द्वारा वाहन का संचालन और परिचालन उक्त वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लघंन में किया जा रहा था ?	''प्रमाणित नहीं''
5	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त	आवेदकगण, अनावेदकगण

	करने के अधिकारी हैं ? यदि हां तो कितनी और किससे।	से संयुक्त एवं पृथक–पृथक दायित्व के आधार पर 17,96,400/–रूपये (सत्रह लाख छयानवें हजार चार सौ रूपये मात्र) आवेदन प्रस्तुति दिनांक 14/02/2022 से अधिनिर्णय दिनांक तक 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज तथा अधिनिर्णय दिनांक से अदायगी दिनांक तक धारा 34 सिविल प्रक्रिया संहिता में किये गये उपबंध के आलोक में 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज सहित प्राप्त करने के पात्र हैं।
6	सहायता एवं व्यय ?	क्षतिपूर्ति आवेदन आंशिक स्वीकृत।

क्लेम प्रकरण क्रमांक 90/2022

क0	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1.	क्या घटना दिनांक 15/12/2021 को शाम लगभग 05:00 बजे, कुटरावली तिराहा एम.एस. रोड कैलारस, पुलिस थाना–कैलारस में अनावेदक क्र.2 ने टाटा 407 /मेटाडोर क्रमांक एमपी06–जी.ए.–1184 को उपेक्षा या उतावलेपन चलाकर मेहबूब को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की **?**	''प्रमाणित''
2.	क्या उक्त दुर्घटना में मेहबूब खांन को कारित हुई चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी अपंगता कारित हुई ?	'' 10 प्रतिशत विकलांगता प्रमाणित।''
3	क्या दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त टाटा 407 /मेटाडोर क्रमांक एमपी06–जी.ए.–1184 अनावेदक क्र.1 के पंजीकृत स्वामित्व का वाहन होकर अनावेदक क्र.3 बीमा कंपनी में घटना दिनांक को बीमाकृत रहा है ?	''प्रमाणित''
4	क्या घटना के समय दुर्घटनाकारी टाटा 407 /मेटाडोर क्रमांक एमपी06–जी.ए.–1184 के स्वामी अनावेदक क्र. 1 एवं चालक अनावेदक क्र.2 द्वारा वाहन का संचालन और परिचालन उक्त वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लघंन में किया जा रहा था ?	''प्रमाणित नहीं''
5	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? यदि हां तो कितनी और किससे।	आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक–पृथक दायित्व के आधार पर कुल 1,86,520/– रूपये (एक लाख छियासी हजार पांच सौ बीस रुपये), आवेदन प्रस्तुति दिनांक 18.04.2020

		से अधिनिर्णय दिनांक तक 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज तथा अधिनिर्णय दिनांक से अदायगी दिनांक तक धारा 34 सिविल प्रक्रिया संहिता में किये गये उपबंध के आलोक में 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज सहित प्राप्त करने के पात्र हैं।
6	सहायता एवं व्यय ?	क्षतिपूर्ति आवेदन आंशिक स्वीकृत।

//निष्कर्ष एवं आधार//

क्लेम प्रकरण कमांक 25/2022 के वाद प्रश्न कमांक 1 व 2 एवं क्लेम प्र.क. 90/22 के वाद प्रश्न कमांक 1:–

7. इस संबंध में मूल क्लेम प्रकरण क्रमांक 25/2022 की आवेदिका शाहीन बानो आ.सा.1 ने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया है कि घटना उसके कथन से लगभग 11 महीने पूर्व की है। उसके पति इसरार खांन अपने रिश्तेदार मेहबूब के साथ वीरपुर से फर्नीचर का काम करके मोटरसाईकिल से जौरा आ रहे थे, जैसे ही उक्त मोटरसाईकिल कुटरावाली तिराहा के पास पहुंची तभी सबलगढ़ की तरफ पीछे से वाहन मेटाडोर टाटा 407 का चालक अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके पति की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके पति के गंभीर चोटें आयी एवं मेहबूब को भी चोटें आयी। घटना होने के बाद उसके पति को सरकारी अस्पताल कैलारस ले गया, जहॉ डॉक्टरों ने उसके पति की मृत्यु होना बताया। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कैलारस में हुई है। उक्त साक्षी ने यह भी कहा है कि प्रकरण में उसने आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श पी 1 लगायत 23 प्रस्तुत की है।

8. क्लेम प्रकरण क्रमांक 90/2022 के आवेदक मेहबूब खांन आ.सा.2 ने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया है कि घटना दिनांक 15/12/2021 की शाम लगभग 05:00 बजे की है। वह अपने रिश्तेदार इसरार खॉ के साथ मोटरसाईकिल से वीरपुर से फर्नीचर का काम करके अपने घर जौरा आ रहा था जैसे ही वे कुटरावली तिराहा के पास पहुंचे कि तभी पीछे से सबलगढ़ की तरफ से वाहन मेटाडोर टाटा 407 क्रमांक एमपी06–जी.ए.–1184 का चालक अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये लाया और उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके दांये कठलानी कंधे में फ्रेक्चर होकर स्थायी अपंगता आ गई व संपूर्ण शरीर में प्राणघातक चोटें आयी। उक्त घटना में मोटर साईकिल पर बैठे इसरार खां की मृत्यु हो गई। घटना घटित होने के बाद उनको सरकारी अस्पताल कैलारस ले जाया गया, जहॉ से उसकी गंभीर हालत होने के कारण उसको मुरैना के लिये रैफर कर दिया चोट अधिक होने से उसे जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर अस्पताल ले जाया गया, फिर उसका जयारोग्य चिकित्सालय व अन्य प्रायवेट अस्पतालों में उसका इलाज हुआ। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कैलारस में हुई है।

9. उसने यह भी कहा है कि उसने आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श पी 24 लगायत 34 प्रस्तुत की है। उक्त साक्षी ने अग्रेतर यह भी कहा है कि उक्त दुर्घटना में उसे स्थायी विकलांगता आ गई। उसके द्वारा प्रस्तुत स्थायी विकलांगता प्रमाण–पत्र प्रदर्श पी 35 व इलाज से संबंधित अपने इलाज व पर्चे प्रदर्श पी 36 लगायत 42 है।

10. मूल क्लेम प्रकरण क्रमांक 25/2022 की आवेदिका शाहीन बानो आ.सा.1 की ओर से आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2, मर्ग प्रदर्श पी 3, मर्ग जॉच रिपोर्ट प्रदर्श पी 4, अपराध

विवरण का फॉर्म प्रदर्श पी 5, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी 6, सफीना फार्म प्रदर्श पी 7, शव प्राप्ती रसीद प्रदर्श पी 8, पी.एम. कराने बावत् सूचना प्रदर्श पी 9, साक्षी इकबाल खान, आवेदक मेहबूब खांन, ललित शर्मा, मोनू शर्मा, अनीश खॉ, निसार खॉ, शब्बीर खान के पुलिस कथन क्रमशः प्रदर्श पी 10 लगायत 16, शव परीक्षण आवेदन प्रदर्श पी 17, सूचना पत्र अंतर्गत धारा 133 मोटर व्हीकल एक्ट प्रदर्श पी 18, संपत्ति जब्ती पत्रक प्रदर्श पी 19, नोटिस धारा 41—क दं.प्र.सं. प्रदर्श पी 20, प्रमाणीकरण प्रदर्श पी 21, वाहन रिहाई आदेश प्रदर्श पी 22, प्रश्नगत वाहन की मैकेनिक जॉच रिपोर्ट प्रदर्श पी 23 एवं क्लेम प्रकरण क्रमांक 90/2022 के आवेदक मेहबूब खांन आ.सा.2 की ओर से आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्री.एम.एल.सी. प्रदर्श पी 24, सी.टी. स्कैन रिपोर्ट प्रदर्श पी 25, सी. टी. हैड प्रदर्श पी 26, गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था एवं जया आरोग्य चिकित्सालय समूह, ग्वालियर का केन्द्रीय पंजीयन पर्चा प्रदर्श पी 27, रोगी कल्याण समिति सी.एच.सी. कैलारस का पर्चा प्रदर्श पी 28, हेमाथोलॉजी रिपोर्ट प्रदर्श पी 29, गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था एवं जया आरोग्य चिकित्सालय समूह, ग्वालियर के इलाज से संबंधित पर्चे व रिपोर्ट प्रदर्श पी 30 लगायत 34 है।

11. अनावेदक साक्षी दिनेश गुप्ता अना.सा.1 ने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया है कि वह बीमा कंपनी चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेंस के लिए अन्वेषण का कार्य करता है। उक्त प्रकरण में उसे बीमा कंपनी द्वारा अन्वेषण करने के लिए नियुक्त किया गया था। अन्वेषण के दौरान उसने आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज प्राप्त किए थे एवं अन्वेषण कर बीमा कंपनी को अपनी रिपोर्ट प्रदर्श डी 01 प्रेषित की थी जिसके ए से ए भाग पर उसकी सील एवं हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर उसका अन्वेषण का निष्कर्ष अंकित है जिसके अनुसार घटना मोटर साईकिल एवं मोटर साईकिल के बीच हुई है। आपराधिक दस्तावेजों के अनुसार प्रदर्श डी 02 में किसी वाहन का नंबर अंकित नहीं है और अज्ञात वाहन से दुर्घटना होना लिखा गया है एवं जे.ए.एच. हॉस्पिटल ग्वालियर में महबूब खान का इलाज हुआ था जिसके केस रिकॉर्ड की प्रति पुलिस ने अभियोग पत्र के साथ पेश की गई है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी 03 है जिसके ए से ए भाग के अनुसार उक्त घटना दो मोटरसाईकिलों में आपस में टकराने से होने का उल्लेख है।

12. उक्त साक्षी ने अग्रेतर मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया है कि उसने अपने अन्वेषण में पाया कि उक्त दुर्घटना दो मोटर साईकिलों की आपसी भिडत के कारण घ ाटित हुई थी। उक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन एमपी06—जी.ए.—1184 जो कि मेटाडोर होकर चार पहिया वाहन से घटित नहीं हुई है। उक्त प्रकरण में मर्ग जांच दिनांक 15/12/2021 को हुई है जिसमें अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने का उल्लेख है तथा प्रदर्श डी 03 की केस रिकॉर्ड दिनांक 15/12/2021 का है जिसमें दो मोटरसाईकिल की आपसी भिडत होने से दुर्घटना बताया है। उक्त प्रकरण में एफ.आई.आर भी 10 दिन विलंब से की गई है जिसमें बीमित वाहन को आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 01 व 02 ने पुलिस से मिलकर असत्य रूप से संलिप्त कराया गया है।

13. आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि आवेदकगण द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपनी साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर दावा प्रमाणित किया है। आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत अनावेदक क्र. 3 बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ने पुलिस एवं अपने ही पूर्व परिचित तथा कथित वाहन के स्वामी/चालक से मिलकर अनावेदक क्र. 02 के हितों के विरूद्ध साजिश कर गलत व झूठे रूप से प्रश्नगत वाहन टाटा 407 क्रमंक एमपी06—जी.ए—1184 के विरूद्ध दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मर्ग पर से दुर्घटना दिनांक 15/12/2021 के पश्चात् दिनांक 25/12/2021 अर्थात् 10 दिवस विलंब से की गई है। प्रकरण में मृतक इसरार खांन की मृत्यु के संबंध में पंजीबद्ध मर्ग प्रदर्श पी 3 एवं आवेदक मेहबूब की प्री.एम.एल.सी. प्रदर्श पी 24 में प्रश्नगत वाहन का मैक, मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर तथा ड्रायवर का नाम भी अंकित नहीं है। दुर्घटना स्वयं मृतक एवं आवेदकगण जिस मोटरसाईकिल पर बैठकर आ रहे थे, उस मोटरसाईकिल की योगदायी

उपेक्षा के कारण दूसरी मोटरसाईकिल से टकराने के कारण घटित हुई है। अतः अनावेदक क्रं. 3 ने आवेदक का दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

14. इस संबंध में यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 घटना दिनांक 15/12/2021 के पश्चात् दिनांक 25/12/2021 को विलंब से होना दर्शित है, किन्तु आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज मर्ग प्रदर्श पी 3 से स्पष्ट है कि उक्त मर्ग प्रदर्श पी 3 दुर्घटना दिनांक 15/12/2021 को ही मृतक इसरार खॉ की मृत्यु के संबंध में पंजीबद्ध की गई है, जिसमें मृतक इसरार एवं आवेदक मेहबूब को रोड एक्सीडेंट में आयी चोटों के इलाज हेतु अस्पताल कैलारस लाये जाने पर इसरार खॉ को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिये जाने एवं मेहबूब खान को जिला अस्पताल मुरैना रैफर कर दिये जाने का उल्लेख है। आवेदक मेहबूब आ.सा.2 की ओर से प्रस्तुत प्री.एम.एल.सी. प्रदर्श पी 24 व रोगी कल्याण समिति सी.एच.सी. कैलारस के पर्चा प्रदर्श पी 28 से भी आवेदक मेहबूब को दुर्घटना दिनांक को ही दुर्घटना के तत्काल पश्चात् आवेदक मेहबूब खांन आ.सा.2 को इलाज हेतु सी.एच.सी. कैलारस ले जाया जाना दर्शित है।

15. प्रकरण में मृतक इसरार खांन की मृत्यु के संबंध में लेखबद्ध मर्ग प्रदर्श पी 3 की जॉच के दौरान सूचनाकर्ता अनीश खॉन, शब्बीर खांन, निसार खॉन के कथन एवं मृतक इसरार खांन की पी.एम. रिपोर्ट व घटनास्थल के नक्शामौका प्रदर्श पी 5 से यह पाये जाने कि इसरार खॉन व मेहबूब खांन अपनी मोटर साईकिल क्रमांक एमपी06-एम.टी.-9097 से वीरपुर से मजदूरी करके जौरा आ रहे थे, जैसे ही इसरार की मोटर साईकिल कुटरावली तिराहा के पास आयी तभी सबलगढ़ की ओर से टाटा 407 क्रमाक एमपी06-जी.ए.-1184 का चालक वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और पीछे से इसरार की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे इसरार व मेहबूब को गंभीर चोटें आयी। टाटा 407 का चालक अपनी गाड़ी को कैलारस तरफ भगाकर ले गया। उक्त जॉच पर से टाटा 407 क्रमांक एमपी06-जी.ए.-1184 के चालक पर धारा 279, 337, 304-ए भा.दं.सं. का पाये जाने से दिनांक 25/12/2021 को मर्ग जॉच प्रदर्श पी 4 थाना प्रभारी, थाना-कैलाररस, की ओर से कायमी करने हेतु प्रेषित किये जाने पर दिनांक 25/12/2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 पंजीबद्ध की गई है।

16. आवेदकगण द्वारा सड़क दुर्घटना के पश्चात् सी.एच.सी. कैलारस ले जाने, सी.एच.सी. कैलारस में मृतक इसरार खांन को मृत घोषित करने एवं वहॉ से आवेदक मेहबूब को मुरैना एवं मुरैना से ग्वालियर रैफर किये जाने पर ग्वालियर में इलाजरत रहने के संबंध में किये गये कथनों का प्रतिपरीक्षण में कोई खंडन नहीं हुआ है। वैसे भी किसी भी मृतक/आहत या उसके परिजन से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह मृतक/आहत को उसी अवस्था में छोडकर सर्वप्रथम रिपोर्ट कराने पहुंचे। उक्त रिपोर्ट विलंब से लेख कराये जाने का उक्त कारण अभिलेख पर होना प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त अनावेदक साक्षी दिनेश गुप्ता अना.सा.1 ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में पुलिस द्वारा मर्ग जॉच पर से एफ.आई.आर. दर्ज कर विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रकट किया है। ऐसी दशा में उक्त रिपोर्ट विलंब से होने से घटना संदेहास्पद होने के संबंध में उक्त अनावेदक साक्षी की साक्ष्य एवं उक्त अनावेदकगण की ओर से किया गया तर्क स्वीकार योग्य प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज होने के कारण आवेदकगण के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होना प्रकट नहीं है तथा केवल एफ.आई.आर. विलंब से लेख करने के आधार पर आवेदकगण का दावा निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

17. जहॉ तक अनावेदक क्र. 03 बीमा कंपनी का यह तर्क कि घटना दिनांक के संबंध में पंजीबद्ध मर्ग रिपोर्ट एवं आवेदक मेहबूब की प्री.एम.एल.सी. में प्रश्नगत का मैक, मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर तथा ड्रायवर का नाम भी अंकित नहीं है। इस संबंध में यद्यपि यह सही है कि घटना दिनांक को मृतक इसरार खांन की मृत्यु के संबंध में पंजीबद्ध मर्ग प्रदर्श पी 3 एवं आवेदक मेहबूब खॉन आ.सा.2 की प्री.एम.एल.सी. प्रदर्श पी 24 में प्रश्नगत का मैक, मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर तथा ड्रायवर का नाम भी अंकित नहीं है, परंतु उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत **पोद्दा नारायण बनाम स्टेट आफ ए.पी. ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 1252**

अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इसी संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 174 दं.प्रं.सं की प्रक्रिया का दायरा बहुत सीमित है। ऐसी ही स्थिति इस प्रकरण में घटना दिनांक को मृतक इसरार खॉन की मृत्यु के संबंध में पंजीबद्ध मर्ग प्रदर्श पी 3 एवं आवेदक मेहबूब आ.सा.2 की प्री.एम.एल.सी. प्रदर्श पी 24 में प्रश्नगत वाहन का मैक, मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर तथा ड्रायवर का नाम भी अंकित नहीं होने के संबंध में बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया तर्क स्वीकार योग्य प्रकट नहीं होता है।

18. जहॉ तक प्रश्नगत वाहन को दुर्घटना में असत्य रूप से संलिप्त कराये जाने एवं उक्त दुर्घटना दो मोटर साईकिलों की आपसी भिड़त के कारण घटित होने, प्रदर्श डी 03 की केस रिकॉर्ड दिनांक 15/12/2021 का है, जिसमें दो मोटर साईकिल की आपसी भिडत होने से दुर्घटना बताये जाने बावत् तर्क का प्रश्न है तो इस संबंध में यद्यपि अनावेदक साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी 3 में अटेंडर के बताये अनुसार "2 wheelar w 2 wheelar" अंकित है। उक्त संबंध में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदिका साक्षी शाहीन बानो आ.सा.1 ने अनावेदक क्र.3 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में उसने घटना के समय घटनास्थल पर नहीं होना स्वीकार किया है। परंतु आवेदक मेहबूब खां आ.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को मोटरसाईकिल को इसरार चला कर ले जा रहा था। उसे जानकारी नहीं है कि इसरार खॉ पर लायसेंस था या नहीं। किन्तु उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उनकी मोटर साईकिल तेजी व लापरवाही से जा रही थी जिस कारण उनकी मोटरसाईकिल अज्ञात वाहन से टकरा गई। उक्त साक्षी ने अनावेदक क्र. 1 व 2 एवं पुलिस से मिलकर प्रश्नगत वाहन क्रमांक एमपी06–जी.ए.–1184 से असत्य रूप से संलिप्त कराये जाने, प्रश्नगत वाहन को दिनांक 15/12/2021 को शाम 05:00 बजे तेजी व लापरवाही से चलाकर अनावेदक क्र.2 ने उसे व इसरार को टक्कर नहीं करने के सुझावों से इंकार किया है।

19. इसके अतिरिक्त अनावेदक क्र.3 बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत साक्षी दिनेश गुप्ता आ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में स्वीकार किया है कि घटना उसके सामने घटित नहीं हुई है एवं वह घटनास्थल पर नहीं गया था और न ही उसने घटनास्थल के चारों तरफ किसी व्यक्ति से पूछताछ की थी, साक्षी ने स्वतः कहा कि घटना दिनांक के ट्रीटमेन्ट पेपर जो कि जे.ए.एच. अस्पताल का प्रदर्श डी 3 है जिसमें लेख है कि मोटरसाईकिल से मोटरसाईकिल भिड़त होने से घटना हुई थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 04 में घटना के समय आहत एवं मृतक दोनों मोटरसाईकिल पर सवार होना, उसने जे.ए.एच. हॉस्पीटल के प्रदर्श डी 3 लेख करने वाले डॉक्टर का कथन लेख नहीं करना स्वीकार करते हुए स्वतः कहा कि उक्त दस्तावेज पुलिस चालान का ही अंग है। उक्त साक्षी ने अग्रेतर प्रतिपरीक्षण की इसी कंडिका में यह प्रकट किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि डॉक्टर को टू व्हीलर से टू व्हीलर घटना होने के संबंध में किसने लिखाया था, स्वतः कहा कि प्रदर्श डी 3 पर राकेश का नाम एवं मोबाइल नंबर अंकित है। वह आज नहीं बता सकता कि राकेश कौन है स्वतः कहा कि हस्ताक्षर के रूप में राकेश का अंगूठा लगा हुआ है। उसने उक्त डॉक्टर का कथन इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनके द्वारा लिखित दस्तावेज प्रदर्श डी 3 आपराधिक प्रकरण का ही एक पार्ट था। उसने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी 3 के अनुसार आहत महबूब की गंभीर हालत होने से उसे कैलारस से रैफर कर ग्वालियर जे.ए.एच ले जाया गया था स्वतः कहा कि उक्त प्रदर्श डी 03 में ही आहत के अटेंडर द्वारा मोटरसाईकिल का मोटरसाईकिल से दुर्घटना होना बताया गया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 5 में यह प्रकट किया है कि उसने उक्त अटेंडर का कोई कथन अपने अन्वेषण के दौरान नहीं लिया था।

20. इस प्रकार अनावेदक क्र.3 बीमा कपंनी की ओर से भी प्रस्तुत साक्षी दिनेश गुप्ता अना.सा.1 की साक्ष्य से भी प्रदर्श डी 3 के दस्तावेज में अंकित उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु संबंधित अटेंडर एवं चिकित्सक को परीक्षित नहीं कराया गया है, जबकि दुर्घटना में घायल आवेदक मेहबूब आ.सा.2 के संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में अनावेदकगण की ओर से ऐसा कोई तथ्य नही लाया जा सका है जिससे उक्त साक्षी द्वारा प्रश्नगत वाहन के चालक अनावेदक

क.2 द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर उक्त घटना कारित किये जाने के कथन का खंडन होता हो। इसके अतिरिक्त प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रश्नगत वाहन के चालक के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में उक्त अनावेदक की ओर से प्रस्तुत साक्षी की साक्ष्य एवं किया गया उक्त तर्क स्वीकार योग्य प्रकट नहीं होता है।

21. हस्तगत प्रकरण में आवेदक साक्षीगण के उक्त कथन की पुष्टि पुलिस ने उक्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत उक्त वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 2 के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग पत्र पर पंजीबद्व हुये आपराधिक प्रकरण की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से होती है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य परस्पर संपुष्टि कारक होने से उस पर अविश्वास करने का कोई कारण इस अधिकरण के मत में परिलक्षित नहीं होता है।

22. प्रकरण में अनावेदक क.1 वाहन स्वामी एवं अनोवदक क.2 वाहन चालक की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन से अनावेदक क.2 द्वारा घटना कारित नहीं की गई हो। अनावेदक क.2 को प्रश्नगत वाहन का चालक होकर उसके द्वारा घटना कारित किया जाना बताया गया है, ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 2 प्रकरण में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर यह प्रमाणित कर सकता था कि प्रश्नगत घटना उसके द्वारा कारित नहीं की गयी अथवा घटना कारित होने में उसकी कोई उपेक्षा व लापरवाही नहीं थी। इस संबध में माननीय न्यायदृष्टांत **''दिवाकर शुक्ला एवं अन्य विरूद्व अशोक ठाकुर एवं अन्य'' 2006(2) दु.मु.प्र.–225** में माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वाहन चालक ने स्वयं का परीक्षण नहीं कराया और यह स्पष्टीकरण नहीं दिया कि किन परिस्थितियों में घटना घटित हुई थी, तब घटना स्वयं बोलती है, का प्रमाण लागू होता है। प्रकरण में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपराधिक दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आक्षेपित वाहन के चालक के विरूद्ध विवेचना उपरांत अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

23. न्यायदृष्टांत **''कुसुमलता व अन्य विरूद्व सतवीर एवं अन्य'' 2011(1) सिविल अपील नंबर 311 ए.एन.जे.(सुप्रीम कोर्ट)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि घटना दावा अधिकरण में दावेदारों के द्वारा मामले को उस रूप में स्थापित किए जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जैसे दाण्डिक विचारण के मामले में की जाती है।

24. माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **''अनिल तिवारी विरूद्व साहेब सिंह'' 2001(1) एम.पी.एल.जे.–59** में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि मोटर घटना दावा प्राधिकरण में दाण्डिक प्रकरणों के दस्तावेजों को ठोस सबूतों से साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

25. न्यायदृष्टांत **''जुझार सिंह राजपूत विरूद्व ओमप्रकाश मालवीय एवं अन्य'' एम.ए.सी.डी.–2013(2) एम.पी.–690** में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट को सिद्व पाया तथा अपराधी वाहन के विरूद्व चालान पेश किया गया तथा अपराधी वाहन तथा चालक अनुज्ञप्ति पुलिस ने जप्त की, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों से घटना में वाहन संलिप्त होने का समर्थन होता हो, तब अधिकरण को आवेदकगण का दावा मान्य करना चाहिए।

26. न्यायदृष्टांत **''मनफूल विरूद्व मेहमूद'' 2003(4) ए.सी.जे.–174 (डी.बी.)** में माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय ने यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि मोटरदावा घटना प्रकरणों में साक्ष्य अधिनियम के कठोर नियम लागू नहीं होते है, आवेदक को केवल यह प्रमाणित करना है कि वाहन के उपयोग में घटना हुई, जिसमें या तो किसी की मृत्यु कारित हुई अथवा किसी की स्थायी अयोग्यता कारित हुई, यदि आवेदक इतना प्रमाणित कर देता है तब यह पर्याप्त है इसका उद्वेश्य यह है कि मोटर दावा घटना में पीडितों को उपेक्षा के कठोर प्रमाण के लिये भटकना न पडे और वाहन चालक तथा मालिक अपने दायित्व से बच न सके।

27. अतः उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन के आधार पर आवेदकगण यह प्रमाणित करने में सफल रहे है कि घटना दिनांक 15/12/2021 को शाम लगभग 05:00 बजे, कुटरावली तिराहा एम.एस. रोड कैलारस, पुलिस थाना–कैलारस में अनावेदक क.2 ने टाटा 407/मेटाडोर कमांक एमपी06–जी.ए.–1184 को उपेक्षा या उतावलेपन चलाकर मृतक इसरार खांन एवं आवेदक मेहबूब खॉ को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की तथा उक्त दुर्घटना में इसरार खांन को कारित हुई चोटों के परिणामस्वरूप इसरार खांन की मृत्यु कारित हुई। अतएव क्लेम प्रकरण कमांक 25/2022 के वाद प्रश्न कमांक 1 व 2 एवं क्लेम प्रकरण कमांक 90/2022 के वादप्रश्न कमांक 1 ''प्रमाणित'' के रूप में निष्कर्षित किये जाते हैं।

क्लेम प्र.क. 90/2022 के वाद प्रश्न कमांक 2:–

28. माननीय न्यायदृष्टांत **''राजकुमार बनाम अजय कुमार व अन्य'' (2011) 1 एस.सी.सी. 343** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने के आधार पर प्रतिकर की संगणना किए जाने के संबध में मार्गदर्शन सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार अब अधिकरण को यह देखना है कि आवेदक को दुर्घटना में आई हुई चोटों के कारण कोई स्थायी अयोग्यता कारित हुई है और उस स्थायी अयोग्यता से आवेदक की अर्जन क्षमता कितनी प्रभावित हुई है और वह स्थायी अयोग्यता पूरे शरीर के मान से कितनी है, केवल स्थायी अयोग्यता के प्रतिशत के आधार पर प्रतिकर दिलाया जाना युक्तियुक्त नहीं है।

29. इस वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार आवेदक मेहबबू खां आ.सा.2 पर है, ने मुख्य परीक्षण में उसके दांये कठलानी कंधे में फेक्चर होकर स्थायी अपंगता एवं संपूर्ण शरीर में प्राणघातक चोटें आने का अभिकथन करते हुए बताया है कि स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 35 एवं इलाज के पर्चे प्रदर्श पी 36 लगायत 42 है।

30. उक्त संबंध में आवेदक साक्षी डॉ. विनोद गुप्ता आ.सा.3 ने मुख्य परीक्षण में दिनांक 09/11/2022 को जिला चिकित्सालय मुरैना के मेडिकल बोर्ड में सदस्य के रूप में पदस्थ होने, उक्त दिनांक को मेहबूब खांन के मेडिकल बोर्ड में उपस्थित होने पर उसने उसके प्री.एम.एल.सी. एवं इलाज के पर्चे व बेडहेड टिकिट देखने पर यह पाया जाना बताया है कि आहत की सड़क दुर्घटना में दिनांक 15/12/2021 को उसकी एम.एल.सी., सी.एच. सी. केलारस में हुई थी। आहत को हेड इंजरी के साथ फेक्चर पैराइटल बोन, फेक्चर टेम्परल बोन तथा दाहिने कंध में फेक्चर क्लेवीकल एवं फेक्चर स्केपुला में हुआ था। आहत का मेडिकल बोर्ड द्वारा दहिने कंधे का एक्सरा कराये जाने पर पाया कि दाहिना क्लेवीकल तथा दाहिनी स्केपुला हड्डी माल्यूनाइटेड है। आहत का क्लेवीकल परीक्षण करने पर पाया कि दाहिने कंधे के मूवमेन्ट बांये कंधे की अपेक्षा 50 प्रतिशत कम हो चुके है एवं चोट के कारण दाहिने कंध में ऑस्टीयोऑथोराईईस हो चुकी है। कैलसर पद्धति द्वारा आहत की स्थायी अपंगता 20 प्रतिशत पायी गई। उसके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 35 है जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर डॉ. अंकुर गुप्ता मेडिकल विशेषज्ञ के हस्ताक्षर हैं।

31. उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 02 में आहत को हेड इंजरी एवं फेक्चर पैराइटल बोन, टेम्परल बोन, दाहिने कंधे में कोई फेक्चर नहीं पाये जाने, मेडिकल बोर्ड द्वारा आहत का कोई एक्सरा नही कराये जाने, आहत का कोई क्लीनिकल परीक्षण नहीं करने, आहत के दाहिने कंधे के मूवमेन्ट 50 प्रतिशत कम नहीं होने, आहत के दाहिने कंधे में चोट के कारण ऑस्टीयोऑथोराइटिस नहीं होने के सुझावों इंकार करते हुए आहत की स्थायी अपंगता दाहिने हाथ से निकाली गई है जो 20 प्रतिशत होना, मानव शरीर में चार लिम्ब होना, आहत के तीन लिम्ब पूर्ण रूप से सही होना स्वीकार किया है। किन्तु उक्त साक्षी ने शरीर में चार लिम्ब होने के कारण आहत के संपूर्ण शरीर की मात्र 5 प्रतिशत विकलांगता होने, आहत की बिना एक्सरे कराये, बिना जॉच किये आहत से मिलकर आहत को लाभ पहुंचाने के लिये मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदर्श पी 35 का प्रमाण–पत्र असत्य रूप से जारी किये जाने, आहत का हायर सेंटर पर इलाज कराये तो आहत पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकने एवं

उसकी स्थायी अपंगता पूर्ण रूप से खत्म हो सकने, आहत को आयी स्थायी अपंगता डॉक्टरों के द्वारा गलत इलाज करने के कारण होने के दिये गये सुझावों से इंकार किया है।

32. हस्तगत प्रकरण में आवेदक मेहबूब खॉन आ.सा.2 ने दुर्घटना में दांये कठलानी कंधे में फ्रेक्चर होकर स्थायी अपंगता एवं संपूर्ण शरीर में प्राणघातक चोटें आने का अभिकथन किया है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्री.एम.एल.सी. प्रदर्श पी 24 से आवेदक को पॉच उपहति कारित होने, सी.टी. हेड प्रदर्श पी 26 से दांये पैराइटल बोन, दांये टेम्पराल बोन, दांये एक्सटर्नल ऑडीटरी केनल एंड दांये विंग ऑफ क्लेवस में अस्थिभंग पाये जाने के साथ अन्य चोट पाया जाना स्पष्ट है तथा हस्तगत प्रकरण में आवेदक ने स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 35 प्रस्तुत किया है, जिसमें आवेदक के हेड इंजरी के साथ पैराइटल बोन, टेम्परल बोन तथा दाहिने कंध में क्लेवीकल एवं स्केपुला में पाये गये अस्थिभंग के आधार पर कार्य क्षमता का आंकलन कर स्थायी विकलांगता 20 प्रतिशत आंकी गई है।

33. माननीय न्यायदृष्टांत **''राजकुमार बनाम अजय कुमार व अन्य'' (2011) 1 एस.सी.सी. 343** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आवेदक को आई चोटों के संबंध में प्रतिकर निर्धारण करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। अतः अब यह देखना है कि आवेदक की इस 20 प्रतिशत भौतिक निर्योग्यता का आवेदक के आय एवं अर्जन क्षमता तथा उसके जीवकोर्पाजन पर क्या प्रभाव पड़ा। अर्थात आवेदक को आई हुई चोटों से कितनी कार्यत्मक निर्योग्यता उत्पन्न हुई।

34. हस्तगत प्रकरण में आवेदक/आहत मेहबूब खॉ आ.सा.2 द्वारा दुर्घटना के पूर्व में कारपेन्टर फर्नीचर की मजूदरी का कार्य करने का अभिकथन करने हुये यह बताया है कि उक्त दुर्घटना में उसे आयी स्थायी अपंगता के कारण वह अब कोई काम नहीं कर पाता है, उसे आज भी दर्ज बना रहता है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 में वह पूर्व की भांति अपने सभी कार्य करने रहे होने एंव उसे आय की कोई हानि नहीं हुई होने के सुझाव से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में उसका दांये कंधे कठलानी में कोई फ्रेक्चर एवं स्थायी अपंगता नहीं होने, उसने अपना स्थायी अपंगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 35 डॉ. विनोद गुप्ता से मिलकर फर्जी रूप से तैयार कराकर प्रकरण में पेश करने एवं उसका डॉक्टर ने बिना जॉच एवं बिना एक्सरे के स्थायी अपंगता प्रमाण पत्र दिये जाने के सुझावों से इंकार किया है। हस्तगत प्रकरण में आहत के हेड इंजरी के साथ पैराइटल बोन, टेम्परल बोन तथा दाहिने कंध में क्लेवीकल एवं स्केपुला में कारित अस्थिभंग के अनुसार कार्य क्षमता का आंकलन कर स्थायी विकलांगता 20 प्रतिशत आंकी गई है, पूरे शरीर के सापेक्ष नहीं। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज तथा आवेदक की आय एवं अर्जन क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्षित किया जाता है कि दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप आवेदक को 10 प्रतिशत विकलांगता कारित हुई। अतः आवेदक को दुर्घटना में आई स्थायी विकलांगता 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है। अतएव उक्त क्लेम प्रकरण के वादप्रश्न क्रमांक 02 के संबध में ''10 प्रतिशत स्थायी विकलांगता प्रमाणित'' के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

क्लेम प्र.क. 25/2022 एवं क्लेम प्र.क. 90/2022 के वाद प्रश्न कमांक 3:–

35. जहां तक दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त बताये गये वाहन टाटा/मेटाडोर क्रमांक एमपी06–जी.ए.–1184 अनावेदक क्रमांक 1 के पंजीकृत स्वामित्व का वाहन होकर घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित होने का प्रश्न है? इस संबंध में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत जब्ती पत्रक प्रदर्श पी 19 अनुसार प्रश्नगत वाहन को बीमा, फिटनेस, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट की छायाप्रतियों सहित जब्त किया गया है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन बीमित होने का तथ्य उल्लेखित होकर प्रकरण में प्रमाणीकरण प्रदर्श पी 21 व वाहन रिहाई आदेश 22 के अवलोकन से प्रश्नगत वाहन वाहन स्वामी/अनावेदक क.1 के नाम पंजीकृत होना दर्शित है। उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 की कंपनी में बीमित होने का कोई खण्डन अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से नहीं किया है। जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि दुर्घटनाकारी वाहन घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 1 के नाम पंजीकृत होकर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में

बीमाकृत था। अतएव उक्त दोनों ही वाद प्रश्न क्रमांक 3 ''प्रमाणित'' के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

क्लेम प्र.क. 25/2022 एवं क्लेम प्र.क. 90/2022 के वाद प्रश्न कमांक 4:–

36. उक्त घटना के समय उक्त दुर्घटनाकारी वाहन टाटा/मेटाडोर क्रमांक एमपी06–जी.ए.–1184 के स्वामी अनावेदक क. 01 और उसके चालक अनावेदक क. 02 वाहन का संचालन और परिचालन उक्त वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में कर रहे होना प्रमाणित करने का प्रमाण भार अनावेदक बीमा कंपनी पर है, किंतु उक्त संबंध में बीमा कंपनी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह माना जाये कि घटना के समय उक्त दुर्घटनाकारी वाहन टाटा/मेटाडोर क्रमांक एमपी06–जी.ए.–1184 के स्वामी अनावेदक क. 01 और उसके चालक अनावेदक क. 02 वाहन का संचालन और परिचालन उक्त वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लघंन में कर रहे थे। इसके विपरीत आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत जब्ती पत्रक प्रदर्श पी 19 अनुसार प्रश्नगत वाहन को बीमा, फिटनेस, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट की छायाप्रतियों सहित जब्त किया गया है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन मालिक अनावेदक क. 1 के कब्जे से प्रश्नगत वाहन को मय रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, बीमा, परमिट, फिटनेस, ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रतियों के जब्त किया गया है जिसके अवलोकन से उक्त प्रश्नगत वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, परमिट, फिटनेस एवं ड्रायविंग लायसेंस वैद्य होना दर्शित है। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि घ टना के समय उक्त दुर्घटनाकारी वाहन टाटा/मेटाडोर क्रमांक एमपी06–जी.ए.–1184 के स्वामी अनावेदक क. 01 और चालक अनावेदक क. 2 वाहन का संचालन और परिचालन उक्त वाहन की बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लघंन में कर रहे थे। अतएव उक्त दोनों ही प्रकरण के वाद प्रश्न क्रमांक 4 ''प्रमाणित नहीं'' के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

क्लेम प्र.क. 25/2022 के वाद प्रश्न कमांक 5:–

37. जहां तक आवेदकगण को प्राप्त हो सकने वाली क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण का प्रश्न है तो इस संबंध में आवेदिका शाहीन बानो आ.सा.1 ने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया है कि उसके पति कारपेन्टर फर्नीचर की मजदूरी का कार्य करके 15,000/–रूपये प्रतिमाह कमा रहे थे। उसके पति को दुर्घटना के बाद लाने ले जाने में दो हजार रूपये, उसके पति की मृत्यु होने से अंतिम क्रियाकर्म में पचास हजार रूपये, मृत्यु के बाद घर आने–जाने वाले मेहमनों पर बीस हजार रूपये खर्च हुये। परंतु उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 में उसने अपने पति की आय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना स्वीकार करते हुये इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके पति कोई फर्नीचर कारपेंटर का कार्य नहीं करते थे इस कारण उसने प्रकरण में अपने पति के आय एवं व्यवसाय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 08 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बताये व्ययों के संबंध में हिसाब–किताब और प्रमाण पेश नहीं किया है।

38. हस्तगत मामले में दुर्घटना दिनांक 15/12/2021 की है, इस प्रकार हस्तगत मामले में घटना समय की मंहगाई, शासन द्वारा प्रदत्त व निर्धारित न्यूनतम मजदूरी आदि को दृष्टिगत रखते हुये मृतक की अकुशल श्रमिक के रूप में प्रकल्पित आय 7,000/– रूपये मासिक माना जाना न्यायोचित है, अतः यह माना जाता है कि दुर्घटना के पूर्व मृतक 7,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करता था।

39. जहां तक मृतक की घटना के समय की आयु का सम्बंध है तो आवेदकगण की ओर से से दुर्घटना दिनांक 15/12/2021 के पश्चात् दिनांक 14/02/2022 को प्रस्तुत क्षतिपूर्ति आवेदन में मृतक की आयु 29 वर्ष उल्लेखित की है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत मर्ग प्रदर्श पी 3, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी 6, सफीना फार्म प्रदर्श पी 7, शव प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 8, शव परीक्षण आवेदन प्रदर्श पी 17 जो कि दुर्घटना दिनांक को ही तैयार किये गये है, में मृतक इसरार खॉन की आयु 28 वर्ष लेखबद्ध है। अनावेदक क.3 बीमा कंपनी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में आवेदिका शाहीन बानो आ.सा.1 ने कंडिका 7 में उसने अपने पति की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया जाना स्वीकार करते हुये यह प्रकट किया है कि उसके पति की उम्र 29 वर्ष थी। परंतु उक्त साक्षी

ने उसके पति एवं उसकी स्वयं की उम्र भी 40 वर्ष से अधिक होने के सुझावों से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। इस प्रकार अभिलेख पर विद्यमान मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दुर्घटना दिनांक 15/12/2021 को मृतक इसरार खांन की आयु लगभग 29 वर्ष होना प्रकट होती है। अतः दुर्घटना दिनांक 15/12/2021 को उक्त मृतक की आयु लगभग 29 वर्ष होना पायी जाती है।

40. न्यायदृष्टांत **जगदीश विरूद्ध मोहन व अन्य ए.आई.आर 2018 सु.को. 1347 में न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय शेट्टी व अन्य एम.ए.सी.टी. 2017 (4) 137 सु.को.** के अनुसार मृत्यु के क्षतिपूर्ति मामलों में भी आय की भविष्यवृत्ति अभिवृद्धि दिलाया जाना उचित है। न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि से स्पष्ट होता है कि मृतक स्थाई सेवा एवं फिक्स सेलरी प्राप्त नहीं करता था, बल्कि उसके अकुशल श्रमिक होने को दृष्टिगत रखते हुये उसकी प्रकल्पित आय निर्धारित की गयी है। मृतक 29 वर्ष की आयु का था। ऐसी स्थिति में मृतक की भविष्यवर्ती आय अभिवृद्धि के रूप में 40 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति राशि भी आवेदकगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

41. इसी क्रम में मृतक की कुल स्थापित आय 7,000/— रूपये प्रतिमाह में उसकी आयु 29 वर्ष होने के आधार पर स्थापित आय में 40 प्रतिशत राशि का इजाफा भविष्य की हानि के तौर पर किये जाने पर कुल राशि 2,800/— रूपये प्रतिमाह होती है इस प्रकार आवेदकगण को कुल मासिक आय 7,000+2,800=9,800 रूपये एवं वार्षिक आय 1,17,600/—रूपये होती है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका में आवेदिका क्र.1 मृतक की पत्नी, आवेदक क्र.2 लगायत 4 मृतक के अवयस्क पुत्री एवं पुत्र, आवेदक क्र.5 मृतक का पिता एवं आवेदिका क्र. 6 मृतक की मॉ है। जहॉ तक मृतक के पिता आवेदक क्र. 5 का मृतक पर आश्रित होने का प्रश्न है तो इस संबंध में यद्यपि आवेदिका शाहीन बानो आ. सा.1 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में यह प्रकट किया है कि उसके ससुर इकबाल पुताई का कार्य करते है। किन्तु उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सास—ससुर उससे अलग रहते है, उसके पति अपने पिता की इकलौती संतान थी। उसने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके पति पर उसके सास ससुर आश्रित नहीं थे। वैसे भी उक्त संबंध में **माननीय केरला उच्च न्यायालय ने यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कपंनी लिमिटेड बनाम शालुमोल एवं अन्य निर्णय दिनांक 25.08.2021** में यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि आश्रितता की हानि के लिए प्रतिकर का दावा करने के लिए आश्रितता एक सुसंगत कसौटी है, किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि आर्थिक आश्रितता वाचा का संदूक है। आश्रितता के अंतर्गत अनुग्रह, अनुग्रह सेवा, शारीरिक आश्रितता, भावनात्मक आश्रितता, मानसिक आश्रितता और कई जिन्हें धन के रूप में नहीं तौला जा सकता सम्मिलित हैं जिससे पिता भी प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित है कि मृतक पर आश्रित सदस्यों की संख्या 06 है।

42. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **न्याय दृष्टांत ''सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, 2009(6) एस.सी. सी.121''** में प्रतिपादित सिद्धान्त 4 से 6 आश्रित पारिवारिक सदस्य होने पर मृतक की आय की 1/4 भाग की कटौती उसके स्वयं के व्यक्तिगत व्यय के रूप में किया जावे। हस्तगत मामले में मृतक की आय 9,800/— रूपये मासिक अर्थात् 1,17,600/— रूपये वार्षिक होना प्रमाणित हुआ है, उस पर आश्रित सदस्य की संख्या 6 है, ऐसी स्थिति में मृतक की व्यक्तिगत आय का कटौत्रा 1/4 किये जाने पर शेष आश्रितता राशि 88,200/— रूपये वार्षिक होती है।

43. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत ''सरला वर्मा''(उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार 26 से 30 आयु प्रवर्ग के लिये 17 का गुणक प्रयुक्त किया जाता है, जिसके अनुसार कुल आश्रितता राशि रूपये 88,200/— गुणित 17 = 14,99,400/— रूपये होती है, निर्धारित की जाती है।

44. इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **प्रणय सेठी (उपरोक्त) एवं मेगमा जनरल इन्श्योरेंस कं.लि. विरूद्ध नानूराम उर्फ चोहरूराम एवं अन्य 2018 लॉसूट(सु.को) 904(सिविल अपील कमांक 9581/2018 निर्णय दिनांक 18.09.2018)** में प्रतिपादित न्याय सिद्धान्त के आलोक में आवेदिका क्र.1 मृतक की पत्नी, आवेदक क्र.2

लगायत 4 मृतक के अवयस्क पुत्री एवं पुत्र, आवेदक क.5 मृतक का पिता एवं आवेदिका क. 6 मृतक की मॉ है, जिनके साहचर्य हानि के लिए रूपया 44,000–44,000/– कुल 2,64,000/–रुपये इसी प्रकार संपदा हानि के लिए रूपया 16,500/– तथा अन्त्येष्टि शीर्षक के अंतर्गत रूपया 16,500/– की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जाती है। जो कि आवेदकगण को दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार कुल **17,96,400/–रूपये** की क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण प्राप्त करने के पात्र हैं।

45. अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व का होकर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी के यहां बीमित था जिसे अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा लापरवाही से चलाया गया तथा बीमा पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाना भी प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण को अनावेदकगण संयुक्तः अथवा पृथक–पृथक उक्त क्षतिपूर्ति राशि अदायगी के लिए उत्तरदायी हैं।

46. जहां तक उक्त क्षतिपूर्ति राशि के सम्बंध में ब्याज की दर का सम्बंध है तो इस सम्बंध में अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा **न्यायदृष्टांत ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध दीप्ती एवं अन्य विविध अपील कमांक 1487/21 निर्णय दिनांक 8/4/22 (एम.पी.)** प्रस्तुत कर यह तर्क किया गया है कि अवार्ड राशि पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रचलित ब्याज दर 5 प्रतिशत की दर से ही ब्याज दिलाया जाना चाहिए।

47. अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्क के सम्बंध में यह महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक या अन्य बैंकों द्वारा जमा की गयी राशि पर 5–6 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा किया जाता है, किंतु ऋण ली गयी राशि पर यह ब्याज दर बढकर 12 से 14 प्रतिशत हो जाती है। क्लेम याचिका दायर करने वाले आवेदकगण मृतक के आश्रित होते हैं जो मृतक की मृत्यु पश्चात अपने जीवनयापन या भरण–पोषण हेतु उधार लेकर या अन्य प्रकार से अपना जीवनयापन करते हैं, क्योंकि मृतक मृत्यु पश्चात उनकी आय का व भरण पोषण का स्रोत समाप्त हो जाता है।

48. यह भी विचारणीय है कि मृतक के आश्रित जिस भी व्यवस्था के अधीन अपने जीवनयापन या भरण पोषण हेतु धन इत्यादि की व्यवस्था ऋण आदि लेकर करते हैं उसमें ब्याज दर किसी भी हालत में 12 से 14 प्रतिशत वार्षिक से कम नहीं होगी। शायद यही कारण रहा होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ऑफ देहली विरूद्ध एसोशियन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजिडी ए.आई.आर 2012 एस.सी. 100, कीर्ति एवं अन्य विरूद्ध ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए.आई.आर 2021 एस.सी. 353, राजकुमार विरूद्ध अजय कुमार एवं अन्य 2011 (1) एम.ए.सी. डी. एस.सी. 33** में क्षतिपूर्ति राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाने का आदेश किया गया है। इस प्रकार अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित न्यायदृष्टांतों में की गयी न्यायिक प्रतिपादना के सापेक्ष अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायदृष्टांत से उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

49. इस प्रकार अनावेदकगण आवेदकगण को आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अधिनिर्णय दिनांक तक उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर 9 प्रतिशत तथा अधिनिर्णय दिनांक से अदायगी दिनांक तक धारा 34 सिविल प्रक्रिया संहिता में किये गये उपबंध के आलोक में उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक दर से ब्याज अदा करने के भी दायी हैं। तद्नुसार उक्त वादप्रश्न निराकृत किया जाता है।

क्लेम प्र.क. 90/2022 के वाद प्रश्न क्रमांक 5:–

50. अब प्रश्न यह है कि आवेदक कितनी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **''राजकुमार बनाम अजय कुमार व अन्य''(2011) 1 एस.सी.सी. 343** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वांत के आलोक में आवेदक को आई चोटों के संबंध में प्रतिकर का निर्धारण किया जा रहा है।

आवेदक की आयु के संबंध में–

51. आवेदक मेहबूब खॉ आ.सा.2 ने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया है कि घटना के समय उसकी उम्र 49 वर्ष थी। उसने अपनी उम्र के संबंध में अपने आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड क्रमशः प्रदर्श पी 43 व 44 प्रस्तुत किये है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 में यह प्रकट किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि उसकी एम.एल.सी. प्रदर्श पी 24 के ए से ए भाग पर उसकी उम्र 50 वर्ष लिखी है। उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है। उक्त साक्षी ने उसने अपनी क्लेम याचिका में अपनी उम्र 49 वर्ष लेख कराया जाना एवं उसके आधार कार्ड के अनुसार जन्म दिनांक 01/07/1973 अंकित होना स्वीकार किया है। इस प्रकार आवेदक की ओर से स्वयं की उम्र के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड क्रमशः प्रदर्श पी 43 व 44 का कोई खंडन नहीं हुआ है। ऐसी दशा में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आधारकार्ड प्रदर्श पी 43 में उल्लेखित जन्म तिथि 01/07/1973 के आधार पर दुर्घटना दिनांक 15/12/2021 को आवेदक की आयु 48 वर्ष 05 माह 14 दिवस होती है, जिसका अनावेदकगण की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है। अतः अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेज को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दुर्घटना के समय आवेदक की आयु 48 वर्ष अधिसम्भाव्य रूप से प्रमाणित पाता हूँ।

<u>आवेदक की आय के संबंध में–</u>

52. अतः आवेदक द्वारा अधिकरण के समक्ष ऐसी साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह प्रमाणित हो कि दुर्घटना के समय व उसके पूर्व कारपेंटर फर्नीचर का कार्य कर 15,000/–रूपये प्रतिदिन आय अर्जित करता था। हस्तगत मामले में दुर्घटना दिनांक 15/12/2021 की है, अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये हस्तगत मामले में आवेदक की मासिक आय 7,000/–रूपये प्रतिमाह ठहराया जाना युक्तियुक्त है। अतएव दुर्घटना के समय आवेदक की नोशनल मासिक आय 7,000/–रूपये एवं वार्षिक आय 7,000x12 =84,000/–रूपये निर्धारित की जाती है।

<u>भविष्य की संभावनाएं–</u>

53. न्याय दृष्टांत **''नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड विरूद्व प्रणय शेट्टी एवं अन्य'' स्पेशल लीव पिटीशन कमांक 25590/2014 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2017''** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि मृतक स्वरोजगार कर रहा हो तथा उसकी नियत आय हो एवं मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच हो तब भविष्य की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उसकी आय में 25 प्रतिशत की राशि की वृद्धि की जानी चाहिए।

54. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **''हेमराज विरूद्ध ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य 2018– ए0सी0जे0–5'' के प्रकरण में अवधारित किया गया है कि addition on account of future prospects is permissible where minimum income is determined on guesswork in absence of proof of income.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **''जगदीश विरूद्व मोहन एवं अन्य'' ए.आई.आर. 2018 एस. सी. 1347''** के प्रकरण में स्थाई विकलांगता के प्रकरण में ''फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट'' दिलाया गया है।

55. अतः आहत की दुर्घटना के समय उसकी आयु 48 वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए उसकी भविष्य की सम्भावनाओं पर विचार करते हुए उसकी आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदक की कुल आय 7,000 (7,000 का 25 प्रतिशत अर्थात 1,750/–रू) कुल 8,750/–रू होती है। इस प्रकार आवेदक की वार्षिक आय 8,750x12= 1,05,000/– रूपये वार्षिक निर्धारित की जाती है।

<u>गुणक के संबंध में–</u>

56. माननीय न्याय दृष्टांत **सरला वर्मा विरूद्व देहली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन 2009 ए.सी.जे. 1298** में प्रतिपादित सिद्वांत के अनुसार 46 से 50 वर्ष की आयु के लिये 13 के गुणांक का उपयोग किया जाना युक्तियुक्त दर्शाया गया है। अतः हस्तगत मामले में भी 13 का गुणांक उपयोग किया जा रहा है।

स्थाई अयोग्यता–

57. आवेदक की वार्षिक आय 1,05,000/– रूपये में 13 का गुणांक लगाने पर 1,05,000 x 13= 13,65,000/–रूपये होता है। आवेदक को आई स्थाई अयोग्यता 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार 13,65,000/– रूपये का 10 प्रतिशत 1,36,500/–रूपये होता है। अतः आवेदक स्थायी अयोग्यता की मद में **1,36,500/–** रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

चिकित्सीय व्यय एवं अन्य शीर्ष–

58. आवेदक मेहबूब खॉ आ.सा.2 ने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया है कि उक्त दुर्घटना में कारण आयी चोटों के इलाज एवं डॉक्टरों की फीस इत्यादि में एक लाख रूपये एवं डॉक्टरों के यहॉ इलाज में आने–जाने में पच्चीस हजार रूपये, विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ लेने में बीस हजार रूपये व्यय हुये। परंतु उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में उसके द्वारा किये गये उक्त व्यय होने के संबंध में कोई मेडिकल बिल एवं हिसाब–किताब प्रकरण में पेश नहीं किया जाना स्वीकार करते हुए इस सुझाव से इंकार किया है कि उसका इलाज पर कोई खर्च नहीं हुआ एवं उसके संपूर्ण दस्तावेज असत्य रूप से तैयार कराये है।

59. प्रकरण में आवेदक मेहबूब खॉ आ.सा.2 की ओर से दुर्घटना में आयी चोटों के इलाज के पर्चे प्रदर्श पी 36 लगायत 42 प्रस्तुत किये जाने का अभिकथन किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 07 में उसने अपना मेडिकल का रिकॉर्ड डॉक्टरों से मिलकर असत्य रूप से तैयार कराकर प्रकरण में प्रस्तुत किये जाने, उसका जे.ए.एच. ग्वालियर में कोई इलाज नहीं होने के सुझावों से इंकार किया है। इस प्रकार आवेदक मेहबूब खॉ आ.सा.2 की ओर से प्रस्तुत इलाज के पर्चे प्रदर्श पी 36 लगायत 42 एवं रोगी कल्याण समिति सी.एच.सी. कैलारस के पर्चा पर अंकित की गणना करने पर कुल राशि 20/– रूपये होती है, जिनके खण्डन योग्य कोई तथ्य उक्त साक्षी के प्रति परीक्षण में प्रकट नहीं है और न ही अनोवदक की ओर से उनके खण्डन योग्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है जिससे आवेदक द्वारा प्रस्तुत शेष बिल की राशि लगभग 20/ रूपये पर अविश्वास करने का कोई उचित कारण प्रकट नहीं होता है। अतः चिकित्सीय व्यय संबंधी दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को उपचार व्यय के रूप में उक्त पर्चे की राशि **20**/–रूपये दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है तथा आवेदक को गंभीर शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा उठानी पड़ी होगी एवं उसका लम्बे समय तक उपचार हुआ है। अतः आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक पीडा के मद में **25000**/–रूपये दिलाया जाना न्यायसंगत है। इसके अतिरिक्त आवेदक को पोषण आहार, आवागमन परिचर्या एवं पौष्टिक आहार तथा इलाज के दौरान आय की मद में उपरोक्त सभी मदो को सम्मलित करते हुए एक मुश्त राशि **25000**/–रूपये दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

60. इस प्रकार आवेदक मेहबूब खॉ को समस्त मदों में 1,36,500+20+25,000+25,000 = **1,86,520/– रूपये (एक लाख छियासी हजार पांच सौ बीस रुपये)** प्रतिकर स्वरूप आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्राकरने का अधिकारी है। इस प्रकार आवेदक को दुर्घटना दिनांक 15/12/2021 में कारित हुई स्थाई अपंगता के परिणामस्वरूप कुल **1,86,520/– रूपये (एक लाख छियासी हजार पांच सौ बीस रुपये)** की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के पात्र हैं।

61. अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व का होकर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी के यहां बीमित था जिसे अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा लापरवाही से चलाया गया तथा बीमा पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाना भी प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण को अनावेदकगण संयुक्तः अथवा पृथक–पृथक उक्त क्षतिपूर्ति राशि अदायगी के लिए उत्तरदायी हैं।

62. जहां तक उक्त क्षतिपूर्ति राशि के सम्बंध में ब्याज की दर का सम्बंध है तो इस सम्बंध में अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा न्यायदृष्टांत **ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी**

लिमिटेड विरूद्ध दीप्ती एवं अन्य विविध अपील कमांक 1487/21 निर्णय दिनांक 8/4/22 (एम.पी.) प्रस्तुत कर यह तर्क किया गया है कि अवार्ड राशि पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रचलित ब्याज दर 6 प्रतिशत की दर से ही ब्याज दिलाया जाना चाहिए।

63. अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्क के सम्बंध में यह महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक या अन्य बैंकों द्वारा जमा की गयी राशि पर 5–6 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा किया जाता है, किंतु ऋण ली गयी राशि पर यह ब्याज दर बढकर 12 से 14 प्रतिशत हो जाती है। क्लेम याचिका दायर करने वाले आवेदक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उपचार उधार लेकर या अन्य प्रकार से कराया जाकर उक्त उपचार अवधि एवं तत्पश्चात् उनके आय अर्जन भी प्रभावित होता है।

64. यह भी विचारणीय है कि आहत जिस भी व्यवस्था के अधीन अपने जीवनयापन या भरण पोषण एवं उपचार हेतु धन इत्यादि की व्यवस्था ऋण आदि लेकर करते हैं उसमें ब्याज दर किसी भी हालत में 12 से 14 प्रतिशत वार्षिक से कम नहीं होगी। शायद यही कारण रहा होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ऑफ देहली विरूद्ध एसोशियन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजिडी ए.आई.आर 2012 एस.सी. 100**, **कीर्ति एवं अन्य विरूद्ध ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए.आई.आर 2021 एस.सी. 353**, **राजकुमार विरूद्ध अजय कुमार एवं अन्य 2011 (1) एम.ए.सी. डी. एस.सी. 33** में क्षतिपूर्ति राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाने का आदेश किया गया है। इस प्रकार अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित न्यायदृष्टांतों में की गयी न्यायिक प्रतिपादना के सापेक्ष अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायदृष्टांत से उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

65. इस प्रकार अनावेदकगण, आवेदकगण को आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अधिनिर्णय दिनांक तक उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर 9 प्रतिशत तथा अधिनिर्णय दिनांक से अदायगी दिनांक तक धारा 34 सिविल प्रक्रिया संहिता में किये गये उपबंध के आलोक में उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक दर से ब्याज अदा करने के भी दायी हैं। तद्नुसार उक्त वादप्रश्न निराकृत किया जाता है।

<u>क्लेम प्रकरण कमांक 25/2022 के वाद प्रश्न कमांक 6 ''सहायता एवं व्यय'' :–</u>

66. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तथा अनावेदक कमांक 3 बीमा कंपनी का प्रथम उत्तरदायित्व मानते हुये निम्न अवार्ड पारित किया जाता है:–

1. अनावेदकगण, आवेदकगण को कुल क्षतिपूर्ति राशि 17,96,400/–रूपये (सत्रह लाख छयानवें हजार चार सौ रूपये मात्र) आवेदन प्रस्तुति दिनांक 14/02/2022 से अधिनिर्णय दिनांक तक 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज तथा अधिनिर्णय दिनांक से अदायगी दिनांक तक धारा 34 सिविल प्रक्रिया संहिता में किये गये उपबंध के आलोक में 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज सहित अधिनिर्णय दिनांक 18.01.2024 से 2 माह की अवधि में अदा करे।

2. उक्त क्षतिपूर्ति राशि 17,96,400/– रूपये एवं उस पर देय ब्याज में से आवेदक कमांक 01 लगायत 06 को 1/6–1/6 राशि बराबर–बराबर देय होगी।

3. आवेदक कमांक 1, 5 एवं 6 को प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि में से 50–50 प्रतिशत राशि उनके नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 3–3 वर्ष की अवधि के लिये सावधि खाते में निवेशित किये जावे तथा शेष राशि का उन्हें बैंक के माध्यम से नगद भुगतान किया जावे। आवेदक क. 2 लगायत 4 की राशि उनके बालिग होने तक एफडी कराई जावे।

4. आवेदकगण को यदि कोई अंतरिम प्रतिकर राशि अदा की गयी हो तो वह राशि अंतिम प्रतिकर राशि में समायोजन योग्य होगी।

5. अनावेदकगण, आवेदकगण का वाद व्यय भी संयुक्त एवं पृथक–पृथक दायित्व के आधार पर वहन करेंगे।

6. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर प्रकरण के लिये 1,000/– रुपये अथवा तालिका अनुसार जो भी कम हो, देय होगा।

''व्यय तालिका बनाई जावे ।''

क्लेम प्रकरण कमांक 90/2022 के वाद प्रश्न कमांक 6 ''सहायता एवं व्यय'' :–

67. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तथा अनावेदक कमांक 3 बीमा कंपनी का प्रथम उत्तरदायित्व मानते हुये निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :–

1. अनावेदकगण, आवेदक को कुल क्षतिपूर्ति राशि **1,86,520/– रूपये (एक लाख छियासी हजार पांच सौ बीस रुपये)** आवेदन प्रस्तुति दिनांक 18.04.2022 से अधिनिर्णय दिनांक तक 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज तथा अधिनिर्णय दिनांक से अदायगी दिनांक तक धारा 34 सिविल प्रक्रिया संहिता में किये गये उपबंध के आलोक में 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज सहित अधिनिर्णय दिनांक 18.01.2024 से 2 माह की अवधि में अदा करे।

2. आवेदक के हुये व्यय एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये देय राशि अल्प होने से उक्त क्षतिपूर्ति राशि जमा की जाने पर आवेदक को राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते के माध्यम से नगद अदा की जावे।

3. आवेदक को यदि कोई अंतरिम प्रतिकर राशि अदा की गयी हो तो वह राशि अंतिम प्रतिकर राशि में समायोजन योग्य होगी।

4. अनावेदकगण, उभयपक्ष का आवेदन पत्र व्यय वहन करेंगे।

5. अभिभाषक शुल्क 1,000/– रूपए या सूची अनुसार जो कम हो आवेदन व्यय में जोड़ा जावे।

तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

अधिनिर्णय आज दिनॉकित, हस्ताक्षरित कर अधिकरण में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

(रविन्द्र कुमार शर्मा)
द्वितीय अतिरिक्त सदस्य
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जौरा
जिला–मुरैना म.प्र.

(रविन्द्र कुमार शर्मा)
द्वितीय अतिरिक्त सदस्य
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जौरा
जिला–मुरैना म.प्र.

RAVINDRA KUMAR SHARMA

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR SHARMA
Date: 2024.01.18 17:30:34 +0530